

संभव, 2048-51 के खाता सं. 101 में सोवरन पुत्र कोठी हि. 13 दमारा पुत्र पंचक हि. 121 गिन्नी
 हि. 13 राजवीर करतार देवीराज विजेन्द्र सहीराज रामेराज पि. पंचक हि. 6/21 रिकार्ड दर्ज थे। जमाबन्दा
 2056-59 के खाता सं. 158 के सोवरन पुत्र कोठी हि. 12 दमारा पुत्र पंचक हि. 121 गिन्नी पुत्र गण्डे हि. 13
 करतार देवीराज विजेन्द्र सहीराज रामेराज पि. पंचक हि. 6/21 रिकार्ड दर्ज किया गया।

अबकि सोवरन पुत्र कोठी हि. 13 राजवीर करतार विजेन्द्र देवीराज सहीराज रामेराज पि. पंचक हि. 6/21 रिकार्ड दर्ज थे। जमाबन्दा
 हिना-चाहिए था। इन्होंने 14 जमाबन्दा डिप्टी के अभाव में सोवरन पुत्र कोठी हि. 12 के लिए हि. 18 पर राज
 पुत्री कोठीराज के नाम अंकन किया तथा डी. 318 सोवरन पुत्र कोठीराज हि. 12 के लिए हि. 18 पर राज
 सोवरन पुत्र कोठीराज हि. 13 का खालेदा था। राजाबाई हि. 18 खालेदा एम के बड़े सोवरन हि. 5/24 का होना
 जिसमें राजाबाई पुत्री कोठीराज हि. 18 खालेदा घोषित की गई। सोवरन पुत्र कोठीराज हि. 318 का खालेदा घोष
 गलत है। अबकि सोवरन पुत्र कोठीराज हि. 13 का खालेदा था। राजाबाई पुत्री कोठीराज हि. 18 खालेदा घोषित
 व सोवरन पुत्र कोठीराज हि. 5/24 होना चाहिए था। तथा राजवीर करतार देवीराज विजेन्द्र सहीराज रामेराज पि. प
 16 के दर्ज किये गये हैं जो गलत है। इन्होंने खालेदा हि. 6/21 के दर्ज होने-चाहिये थे।
 संभव, 2071-74 के खाता सं. 153 के सोवरन पुत्र कोठीराज हि. 318 ए. 3. 196 की विरासत जो
 व रवीना (नाबका) पुत्री पि. सोवरन हि. 318 दर्ज की गई जबकि सोवरन की विरासत 5/24 ही होनी-चाहिए थी।
 199 ही नंबर पुत्र सोवरन कोठीराज हि. 3/16 का बेवान कोलुराज पुत्र चक्रापील हि. 3/16 का बिक्र किया जा
 है। कोलुराज पुत्र चक्रापील हि. 5/48 होना चाहिए था।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

अबकि संश्लेषण जमाबन्दी के खाता अपवाचित खाते को ठीक है। जिसे कुछ किया जाना कम
 है। अतः सम्पूर्ण रिकार्ड का अकलौकक करने में टाया गया कि:-
 खाता - राजाबाई पुत्री कोठीराज हि. 18 दमारा पुत्र पंचक हि. 121 गिन्नी पुत्र गण्डे हि. 13-1
 करतार देवीराज विजेन्द्र सहीराज रामेराज पि. पंचक हि. 6/21 कोलुराज पुत्र चक्रापील हि. 5/48 रवीना
 (नाबका) पुत्री सोवरन हि. 5/48 होना चाहिए।
 रिपोर्ट अधिसूचनावादी हेड प्रिमान जी की सेवा के अकलौककार्य एवं अडेवाच्य हेतु
 प्रेषित है।

ड. क. सरानी खोडा
 1/2 (सहकारी)

12-4-19

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट पखारी हल्का सरानीखेड़ा एवं भू. अ. नि.
 वृत्त सरानीखेड़ा के नियम 136 के तहत सुद्धि किया
 जाना उचित है।

प्र. 151 कि 15/19

तहसीलदार (मू० अभि०)
 धौलपुर (राज०)

उपस्थित करीब
 L R A C 136 तहसीलदार धौलपुर
 उपकरण स्वीकार किया जाता है।

12.4.19
 उप खण्ड अधिकारी
 धौलपुर (राज०)